



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 7, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सैन्य वार्ता	2
2. तमिलनाडु राज्य योजना आयोग को भंग करने का प्रस्ताव	4
3. आंध्र प्रदेश का रणनीतिक क्षेत्रों में FDI पर ध्यान	5
4. कर्नाटक ने कावेरी जल छोड़ने में कटौती की मांग की	6
5. उच्च न्यायपालिका में न्यायिक अखंडता और जवाबदेही (Judicial Integrity and Accountability in Higher Judiciary)	8
6. भारत में बेरोजगारी आंकड़ों का संकट (India's Unemployment Data Dilemma)	9
7. भारत में मुद्रास्फीति लक्षणीकरण ढांचे का मूल्यांकन (Evaluation of Inflation Targeting Framework in India)	11
8. FRA के तहत ग्राम सभा की सहमति और वन मंजूरी (Gram Sabha Consent and Forest Clearance under FRA)	12
9. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 'इक्वल अर्थ' (Equal Earth) मैप प्रोजेक्शन को दी मंजूरी	13
10. असम का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) राष्ट्रीय औसत से नीचे गिरा	15
11. MEA ने UN विश्व मानचित्र में भारत के मानचित्र के सटीक चित्रण की मांग की	16
12. जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत को 'A' श्रेणी में अपग्रेड किया	18

SIXSIGMA
Dream | Dare | Deliver

1. अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सैन्य वार्ता

मुख्य बिंदु और सारांश

- पहला पूर्वी सेक्टर संवाद:** भारत और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के वाचा-दमाई सीमा कार्मिक बैठक बिंदु (Border Personnel Meeting Point) पर पूर्वी सेक्टर में अपनी पहली कोर कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित की।
- लद्दाख से आगे विस्तार:** जून 2020 की गलवान घाटी झड़पों के बाद यह उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता तंत्र केवल पूर्वी लद्दाख (चशूल-मोल्दो बिंदु) तक सीमित था, जिसका अब अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है।

- **भारतीय प्रतिनिधिमंडल:** 12-सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने किया, जिसमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के एक महानिरीक्षक (Inspector-General) भी शामिल थे।
- **ऑपरेशनल कमान की जिम्मेदारी:** रंगापहाड़ (नागालैंड) स्थित 3 कोर (स्पीयर कोर) और तेजपुर स्थित 4 कोर अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ परिचालन क्षेत्रों को संभालती हैं।
- **सीमा तनाव:** यह वार्ता सैन्य निर्माण, परस्पर विरोधी क्षेत्रीय दावों और अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की रिपोर्टों पर चिंताओं के बीच हुई।
- **भू-राजनीतिक समय (टाइमिंग):** वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुआ, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की उम्मीद है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC):** भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करने वाली गैर-सीमांकित सीमा, जिसे पश्चिमी (लद्दाख), मध्य (हिमाचल/उत्तराखंड) और पूर्वी (अरुणाचल/सिक्किम) सेक्टरों में विभाजित किया गया है।
- **कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता:** सीमा गतिरोधों के प्रबंधन हेतु भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और समकक्ष PLA कमांडरों के बीच आयोजित उच्चतम परिचालन-स्तरीय सैन्य बातचीत।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 एवं 257(1):** राष्ट्रीय क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव हेतु राज्यों को निर्देश देने की संघ की कार्यकारी शक्ति की पुष्टि करता है।
- **द्विपक्षीय सीमा समझौते:** यह तंत्र 1993 के शांति और सौहार्द समझौते, 1996 के सैन्य विश्वास निर्माण उपायों के समझौते और 2012 के परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) जैसी संधियों द्वारा निर्देशित है।
- **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम, 1992:** 3,488 किमी लंबी LAC पर प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल के रूप में ITBP को वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

निष्कर्ष: कोर कमांडर वार्ता का पूर्वी सेक्टर तक विस्तार व्यापक सीमा प्रबंधन की दिशा में एक सक्रिय बदलाव को दर्शाता है। संस्थागत संवाद के माध्यम से ताकसिंग जैसी स्थानीय घर्षण समस्याओं को हल करना LAC पर दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत और उसके पड़ोसी-संबंध, द्विपक्षीय तंत्र, क्षेत्रीय गुट (BRICS), और संघर्ष समाधान।
- **जीएस पेपर III (आंतरिक सुरक्षा):** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन, सीमा बलों की भूमिका (ITBP), और रक्षा बुनियादी ढांचे का विकास।

2. तमिलनाडु राज्य योजना आयोग को भंग करने का प्रस्ताव

मुख्य बिंदु और सारांश

- **55 साल पुरानी संस्था का अंत:** तमिलनाडु सरकार 1971 में स्थापित अपने 55 साल पुराने सलाहकार निकाय, 'तमिलनाडु राज्य योजना आयोग' (SPC) को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
- **रिक्त नेतृत्व पद:** पिछली सरकार द्वारा नियुक्त टीम के इस्तीफे के बाद से उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के प्रमुख पद खाली पड़े हैं।
- **पदेन (Ex-Officio) नेतृत्व:** परंपरा के अनुसार, मुख्यमंत्री SPC के पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव और वित्त सचिव इसके पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।
- **विशेषज्ञ समितियों की ओर झुकाव:** प्रशासन का उद्देश्य स्थायी योजना पैनल को विषय-केंद्रित नीतिगत इनपुट देने वाली क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञ समितियों से बदलना है।
- **नीतिगत शासन को सुव्यवस्थित करना:** चुनिंदा विशेषज्ञों का उपयोग करने वाले तदर्थ (ad-hoc) निकाय अधिक लचीलापन और त्वरित नीतिगत इनपुट प्रदान करते हैं।
- **प्रशासनिक पुनर्गठन:** यह कदम पारंपरिक 'टॉप-डाउन' योजना आयोगों से लचीले, विशेष थिंक-टैंक मॉडल की ओर व्यापक प्रशासनिक बदलाव के अनुरूप है।



Tamil Nadu State Planning Commission

With the Vice Chairman and the entire panel of members at the Tamil Nadu State Planning Commission all originally appointed during the previous DMK regime having tendered their resignations following the formation of the TVK-led government in the State, senior officials within the Commission have confirmed that the government will soon take an appropriate decision on thoroughly reconstituting the advisory body.

आवश्यक परिभाषाएं

- **गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक निकाय (Extra-Constitutional & Non-Statutory Body):** ऐसा संगठन जो संविधान के प्रावधानों या संसद/विधानसभा के अधिनियम के बजाय सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया जाता है।
- **सलाहकार थिंक-टैंक:** एक ऐसा संस्थागत ढांचा जो बिना किसी विधायी शक्ति के कार्यपालिका को विशेषज्ञ सिफारिशें, डेटा विश्लेषण और रणनीतिक नीतिगत इनपुट प्रदान करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 243ZD:** ग्रामीण व शहरी योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों (DPCs) के गठन का आदेश देता है, जो यह दर्शाता है कि विकेंद्रीकृत योजना को संवैधानिक समर्थन प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्ति:** राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र वाले विषयों पर राज्य सरकारों को कार्यकारी अधिकार देता है, जिसके तहत ऐसे निकायों की स्थापना या समाप्ति की जाती है।
- **राज्य नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 38 व 39):** जन कल्याण को बढ़ावा देने और न्यायसंगत संसाधन वितरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य को सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हैं।

निष्कर्ष: तमिलनाडु राज्य योजना आयोग का प्रस्तावित उन्मूलन कठोर केंद्रीकृत योजना संस्थानों से चुस्त, क्षेत्र-विशिष्ट सलाहकार निकायों में संक्रमण को दर्शाता है। विशेषज्ञ पैनलों के साथ-साथ विकेंद्रीकृत संवैधानिक तंत्रों को मजबूत करने से संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था और शासन):** कार्यकारी निकाय बनाम संवैधानिक/वैधानिक निकाय, प्रशासनिक सुधार और नीति निर्माण के तंत्र।
- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना):** योजना तंत्र में संस्थागत बदलाव, विकेंद्रीकृत योजना का विकास और लचीली नीति सलाहकार प्रणालियों की ओर झुकाव।

3. आंध्र प्रदेश का रणनीतिक क्षेत्रों में FDI पर ध्यान

मुख्य बिंदु और सारांश

- **रणनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:** आंध्र प्रदेश सरकार AI बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा संक्रमण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को लक्षित कर रही है।
- **उच्च वैश्विक निवेश हिस्सेदारी:** वैश्विक स्तर पर ये रणनीतिक क्षेत्र कुल ग्रीनफील्ड औद्योगिक परियोजनाओं का लगभग 45% हिस्सा बनाते हैं।
- **निवेश पाइपलाइन का विस्तार:** राज्य का उद्देश्य औद्योगिक विस्तार के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और सुस्त विनिर्माण वृद्धि को पुनर्जीवित करना है।
- **ग्राउंडिंग इन्वेस्टमेंट्स पर जोर:** हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों को वास्तविक उत्पादन और रोजगार में बदलने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने और निष्पादन को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- **CII पार्टनरशिप समिट:** ये निर्देश विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले आगामी भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) पार्टनरशिप समिट से पहले जारी किए गए हैं।
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद:** राज्य की यह सक्रिय रणनीति उच्च तकनीक वाली विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए उप-राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** किसी एक देश की संस्था द्वारा दूसरे देश में स्थित उद्यम में स्थायी हित और प्रबंधकीय नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया गया सीमा पार निवेश।
- **ग्रीनफील्ड निवेश:** FDI का वह रूप जहाँ कोई मूल कंपनी किसी विदेशी देश में बिल्कुल नई परिचालन सुविधा या सहायक कंपनी की स्थापना शून्य से करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह, विदेशी मुद्रा और सीमा पार निवेश को विनियमित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा।
- **DPIIT समेकित FDI नीति:** उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी, जो क्षेत्रीय सीमाओं, प्रवेश मार्गों (स्वचालित बनाम सरकारी मार्ग) और अनुपालन शर्तों को निर्धारित करती है।
- **सातवीं अनुसूची (राज्य और संघ सूची):** विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ सूची (प्रविष्टियां 10 और 41) के तहत आते हैं, जबकि उद्योग और भूमि प्रशासन राज्य सूची (प्रविष्टियां 18 और 24) में हैं, जिससे केंद्र-राज्य समन्वय आवश्यक हो जाता है।



निष्कर्ष: AI, महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों को लक्षित करने की आंध्र प्रदेश की पहल उच्च मूल्य वाली विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाती है। इन निवेश प्रतिबद्धताओं को टिकाऊ विनिर्माण उत्पादन और रोजगार में बदलने के लिए प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण होगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** संसाधनों का जुटाव, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रुझान, विकास और निवेश मॉडल, और विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियाँ।
- **जीएस पेपर II (शासन और संघवाद):** केंद्र-राज्य संबंध, प्रतिस्पर्धी संघवाद, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business), और राज्य स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेप।

4. कर्नाटक ने कावेरी जल छोड़ने में कटौती की मांग की

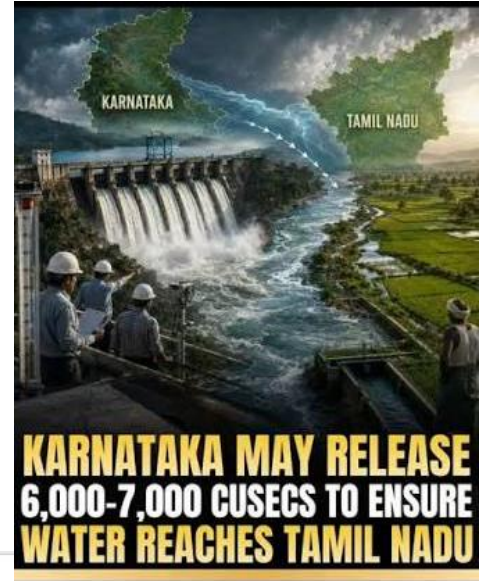
मुख्य बिंदु और सारांश

- **कटौती की अपील:** कर्नाटक ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के समक्ष अपील दायर कर तमिलनाडु को दिए जाने वाले अपने दैनिक जल प्रवाह को 9,000 क्यूसेक से घटाकर 2,000 क्यूसेक करने की मांग की है।
- **चुनौतीपूर्ण जनादेश:** मूल आदेश में कर्नाटक को बिलिंगंडलू गेज साइट पर 25 अगस्त से शुरू होकर 15 दिनों के लिए रोजाना 9,000 क्यूसेक (कुल 11.66 TMC Ft) पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
- **जलवैज्ञानिक संकट (Hydrological Distress):** कर्नाटक ने अपने बेसिन क्षेत्र में गंभीर संकट का हवाला दिया, जहाँ उसके चार कावेरी जलाशयों में संचयी आवक 30 साल के औसत से 49.18% कम दर्ज की गई है।

- **मानसून की कमी:** दक्षिण-पश्चिम मानसून की समाप्ति के करीब होने के कारण कर्नाटक के जलाशयों में नई आवक की संभावना नगण्य है।
- **पुनर्मूल्यांकन की मांग:** राज्य ने प्राधिकरण से आगामी उत्तर-पूर्वी मानसून का मूल्यांकन होने तक आगे के फैसलों को स्थगित करने का आग्रह किया है।
- **समीक्षा बैठकें:** जमीनी स्थिति की समीक्षा के लिए कावेरी जल नियमन समिति (CWRC) और CWMA दोनों की बैठकें 8 सितंबर को निर्धारित हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **जलवैज्ञानिक संकट (Hydrological Distress):** अपर्याप्त वर्षा या सूखे के कारण जब किसी नदी बेसिन या जलाशय प्रणाली में पानी की उपलब्धता सामान्य ऐतिहासिक औसत से काफी नीचे गिर जाती है।
- **क्यूसेक और TMC Ft:** 'क्यूसेक' जल प्रवाह की दर (एक घन फीट प्रति सेकंड) को मापता है, जबकि 'TMC Ft' (थाउज़ेंड मिलियन क्यूबिक फीट) कुल जल आयतन को मापता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है और अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर सकता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान के लिए जल विवाद न्यायाधिकरणों के गठन का वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **कावेरी जल प्रबंधन योजना, 2018:** सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित, जो राज्यों के बीच अंतिम आवंटन निर्णयों को लागू करने के लिए CWMA और CWRC की स्थापना करती है।

निष्कर्ष: संकट के वर्षों के दौरान कावेरी जल आवंटन पर बार-बार होने वाला विवाद एक गतिशील, वैज्ञानिक संकट-साझाकरण सूत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मानसून की कमी के दौरान कृषि आवश्यकताओं, पेयजल सुरक्षा और पारिस्थितिक प्रवाह को संतुलित करने के लिए तटवर्ती राज्यों के बीच संस्थागत सहयोग महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** अंतर-राज्यीय संबंध, संघीय जल शासन, अनुच्छेद 262, और CWMA जैसे वैधानिक निकाय।
- **जीएस Paper III (पर्यावरण और कृषि):** टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन, नदी बेसिन प्रबंधन, सूखा शमन, और मानसून पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।

5. उच्च न्यायपालिका में न्यायिक अखंडता और जवाबदेही (Judicial Integrity and Accountability in Higher Judiciary)

मुख्य बिंदु और सारांश

- **कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पर आरोप:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को चार पत्र लिखकर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा पर कुप्रशासन, रोस्टर में हेरफेर और भाई-भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए हैं।
- **दीर्घकालिक कार्यकाल पर चिंता:** न्यायमूर्ति शर्मा लगभग 11 महीनों से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे, जिससे स्थायी नियुक्तियों के बजाय कार्यकारी प्रमुखों द्वारा लंबे समय तक शासन चलाने पर संस्थागत चिंताएं पैदा हुई हैं।
- **बार एसोसिएशन का बहिष्कार:** बढ़ते असंतोष के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय के वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया, जिससे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को अदालती कार्यवाही से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- **सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हस्तक्षेप:** विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान उच्च न्यायालय का नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
- **संस्थागत प्रतिक्रिया में कमियां:** शीर्ष अदालत के एक सेवारत न्यायाधीश की शिकायत के बावजूद, औपचारिक आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को शुरू करने में देरी ने न्यायिक कदाचार से निपटने में संस्थागत झिझक को उजागर किया है।
- **अक्षम जवाबदेही तंत्र:** यह घटना मौजूदा रूपरेखा के तहत उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के मूल्यांकन, जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई में मौलिक खामियों को उजागर करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मास्टर ऑफ द रोस्टर (Master of the Roster):** उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश) का विशेष प्रशासनिक अधिकार, जिसके तहत वे पीठों का गठन करते हैं और न्यायिक मामलों का आवंटन करते हैं।
- **इन-हाउस मैकेनिज्म (In-House Mechanism):** सेवारत न्यायाधीशों के खिलाफ नैतिक उल्लंघन या कदाचार के आरोपों की जांच के लिए 1999 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया एक आंतरिक, गैर-सांविधिक जांच तंत्र, जिससे सीधी संसदीय महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता न पड़े।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 124(4) एवं 217(1)(b):** सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने (महाभियोग) की संवैधानिक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।

- **न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968:** महाभियोग से पहले संसद में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर न्यायाधीशों के कदाचार या अक्षमता के आरोपों की जांच की वैधानिक प्रक्रिया को विनियमित करता है।
- **के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991):** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी सेवारत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने या आपराधिक जांच करने से पहले CJI की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य है।
- **न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010:** न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा को लागू करने और वैधानिक शिकायत तंत्र स्थापित करने का एक प्रस्तावित विधायी प्रयास, जो अंततः पारित न हो सका और व्यपगत (lapse) हो गया।

निष्कर्ष: न्यायिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता से निपटने के लिए नियुक्तियों, रोस्टर आवंटन और अनुशासनात्मक निगरानी में तत्काल संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए एक स्वतंत्र वैधानिक जवाबदेही ढांचा स्थापित करना न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही; कॉलेजियम प्रणाली; और कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंध।
- **जीएस Paper IV (नीतिशास्त्र व सत्यनिष्ठा):** संस्थागत नीतिशास्त्र, सार्वजनिक पदों पर सत्यनिष्ठा, हितों का टकराव (Conflict of Interest), और संवैधानिक निकायों में नैतिक नेतृत्व।

6. भारत में बेरोजगारी आंकड़ों का संकट (India's Unemployment Data Dilemma)

मुख्य बिंदु और सारांश

- **उच्च-आवृत्ति डेटा की ओर बदलाव:** श्रम गतिशीलता को अधिक तेज़ी से ट्रैक करने के लिए भारत ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के तहत 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) दृष्टिकोण का उपयोग करके मासिक संकेतक जारी करना शुरू किया है।
- **बेरोजगारी दर में मौसमी गिरावट:** PLFS के अनुसार, 15+ आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर 5.1% के चार महीने के निचले स्तर पर आ गई, जिसका मुख्य कारण मुख्य खरीफ कृषि सीजन के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी का घटकर 4.5% होना था।
- **संकट-संचालित रोजगार बनाम गुणवत्तापूर्ण नौकरियां:** ग्रामीण बेरोजगारी में गिरावट औपचारिक व उच्च-उत्पादकता वाली नौकरियों के विस्तार के बजाय मुख्य रूप से कृषि, निर्माण और स्थानीय व्यापार में मौसमी खपत को दर्शाती है।
- **असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों में अंतर:** कार्यबल का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, उच्च-आवृत्ति आंकड़े रोजगार की गुणवत्ता, अल्प-रोजगार (underemployment), मजदूरी के रुझान और श्रम गतिशीलता को सटीक रूप से पकड़ने में असमर्थ हैं।

- **अदृश्य प्रवासी श्रमिक:** मासिक सर्वेक्षण ढांचा देश भर में अनुमानित 30-35 मिलियन श्रमिकों के मौसमी और चक्रीय प्रवास को पर्याप्त रूप से दर्ज करने में विफल रहता है।
- **विखंडित प्रशासनिक स्रोत:** EPFO, ESIC, GST-आधारित डेटाबेस, कॉर्पोरेट पेरोल और गिग इकॉनमी प्लेटफॉर्म के डेटा का एकीकरण न होने से समग्र डेटा की विश्वसनीयता सीमित होती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** एक ऐसी कार्य स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान उसकी गतिविधियों के आधार पर नियोजित या बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** आबादी में उन व्यक्तियों का प्रतिशत जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं।
- **प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment):** ऐसी स्थिति जहां किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सीमांत उत्पादकता शून्य के करीब पहुंच जाती है (सामान्यतः कृषि क्षेत्र में दृश्यमान)।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(a) एवं (e):** राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को निर्देश देते हैं कि वह नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करे और यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों के स्वास्थ्य व क्षमता का दुरुपयोग न हो।
- **अनुच्छेद 41:** राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** श्रम कल्याण में सुधार के लिए असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु एक वैधानिक कानूनी ढांचा प्रदान करती है।

निष्कर्ष: मासिक श्रम संकेतकों की ओर बढ़ना अल्पकालिक संकेत तो प्रदान करता है, लेकिन केवल हेडलाइन बेरोजगारी दर से अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक स्वास्थ्य को नहीं मापा जा सकता। नीतिगत ध्यान कार्य की गुणवत्ता में सुधार, असंगठित नौकरियों के औपचारिकीकरण और टिकाऊ, उच्च-उत्पादकता वाले रोजगार सृजन पर केंद्रित होना चाहिए।

UPSC प्रासंगिकता

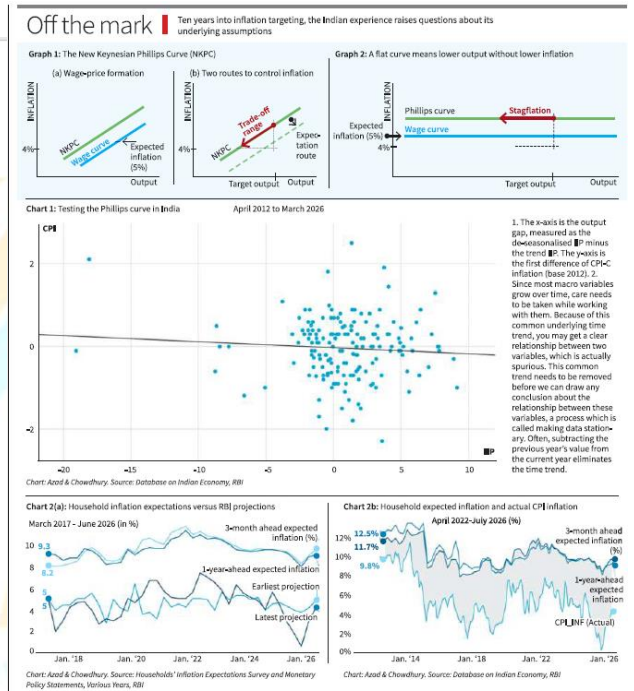
- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; असंगठित क्षेत्र की चुनौतियाँ; और डेटा संग्रह पद्धतियाँ।
- **जीएस पेपर II (शासन व सामाजिक न्याय):** असंगठित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, श्रम कल्याण योजनाएं, और सामाजिक सुरक्षा।



7. भारत में मुद्रास्फीति लक्षणीकरण ढांचे का मूल्यांकन (Evaluation of Inflation Targeting Framework in India)

मुख्य बिंदु और सारांश

- मुद्रास्फीति लक्षणीकरण का एक दशक:** भारत ने लचीली मुद्रास्फीति लक्षणीकरण (FIT) के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) CPI मुद्रास्फीति को $(+/-)2\%$ के सह्यता बैंड के साथ 4% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखता है।
- द्विस्तरीय मौद्रिक नीति प्रभाव:** RBI कुल मांग को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर बढ़ाकर और भविष्य में मूल्य-निर्धारण व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को स्थिर करके मौद्रिक नीति संचालित करता है।
- फिलिप्स वक्र की सैद्धांतिक अवधारणा:** FIT ढांचा न्यू-कीनेसियन फिलिप्स वक्र (NKPC) मॉडल पर निर्भर करता है, जो यह मानता है कि उच्च आउटपुट से श्रमिकों की बातचीत करने की क्षमता (bargaining power) मजबूत होती है, जिससे मजदूरी और कीमतें बढ़ती हैं।
- सपाट NKPC का अनुभवजन्य साक्ष्य:** IIP और CPI आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि भारत का NKPC सपाट (flat) है, जिसका अर्थ है कि मांग में कमी करने से आउटपुट और रोजगार तो घटते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी नहीं आती।
- संरचनात्मक असंगठित क्षेत्र की वास्तविकता:** लगभग 92% भारतीय श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं और उनके पास मजदूरी बढ़ाने के लिए बातचीत की शक्ति नहीं है, जो इस धारणा को खारिज करता है कि आर्थिक वृद्धि से अनिवार्य रूप से मजदूरी-प्रेरित मुद्रास्फीति (wage-push inflation) बढ़ती है।
- प्रत्याशाओं में निरंतर अंतर:** RBI के घरेलू सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जनता की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं केंद्रीय बैंक के आधिकारिक अनुमानों से लगातार लगभग चार प्रतिशत अंक अधिक बनी रहती हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- लचीली मुद्रास्फीति लक्षणीकरण (FIT):** एक मौद्रिक नीति ढांचा जहां केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को एक निर्दिष्ट लक्ष्य सीमा के भीतर रखने के लिए ब्याज दरों को समायोजित करता है।
- न्यू-कीनेसियन फिलिप्स वक्र (NKPC):** एक समष्टि आर्थिक मॉडल जो मजदूरी वार्ताओं और मूल्य-निर्धारण शक्ति द्वारा संचालित आउटपुट, मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं और वर्तमान मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है।
- रेपो रेट (Repo Rate):** वह प्रमुख नीतिगत दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, जो सीधे तौर पर बाजार की उधार दरों और आर्थिक साख मांग को प्रभावित करती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934:** केंद्र सरकार के परामर्श से FIAT ढांचे और मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 2016 में धारा 45ZA के तहत संशोधित किया गया।
- **मौद्रिक नीति समिति (MPC):** मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर तय करने हेतु RBI अधिनियम की धारा 45ZB के तहत गठित एक वैधानिक 6-सदस्यीय समिति।
- **राज्य नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39 व 41):** राज्य को आजीविका के पर्याप्त साधन सुरक्षित करने और काम के अधिकार को बढ़ावा देने का निर्देश देते हैं, जो उन संरचनात्मक चिंताओं को रेखांकित करते हैं जहां मौद्रिक कड़ाई मुद्रास्फीति को रोके बिना रोजगार सृजन को बाधित करती है।

निष्कर्ष: यद्यपि मुद्रास्फीति लक्षणीकरण मौद्रिक अनुशासन बनाए रखता है, लेकिन असंगठित रोजगार और आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं वाली अर्थव्यवस्था में इसका क्रियान्वयन वास्तविक आउटपुट और रोजगार को नुकसान पहुंचा सकता है। मूल्य स्थिरता के साथ-साथ टिकाऊ विकास का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति को घरेलू संरचनात्मक वास्तविकताओं के अनुकूल बनाना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** मौद्रिक नीति संचरण, RBI की भूमिका, मुद्रास्फीति लक्षणीकरण गतिशीलता, न्यू-कीनेसियन फिलिप्स वक्र की सीमाएं, और असंगठित श्रम बाजार की संरचना।
- **जीएस पेपर II (शासन व नीतियां):** संस्थागत तंत्र (MPC/RBI), RBI अधिनियम के तहत विधायी प्रावधान, और विकासात्मक लक्ष्यों के साथ नीतिगत तालमेल।

8. FRA के तहत ग्राम सभा की सहमति और वन मंजूरी (Gram Sabha Consent and Forest Clearance under FRA)

मुख्य बिंदु और सारांश

- **FRA पर मंत्रालय का रुख:** केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 में स्टेज-II वन मंजूरी के लिए "ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है"।
- **दायरा स्पष्टीकरण:** NHPC जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में विद्युत मंत्रालय के साथ संचार में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि वन भूमि परिवर्तन (diversion) के लिए ग्राम सभा की सहमति का मुद्दा उसके दायरे से बाहर है।
- **प्रक्रियात्मक नियम बनाम वैधानिक पाठ:** हालांकि FRA के वैधानिक पाठ में डायवर्जन के लिए ग्राम सभा सहमति शब्द सीधे तौर पर उल्लेखित नहीं है, लेकिन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के तहत औपचारिक भूमि डायवर्जन से पहले अधिकारों की मान्यता और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवश्यक है।
- **बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी:** सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वन मंजूरी में औसतन 106 महीने लगते हैं, और तीस्ता-IV जलविद्युत परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए अनिवार्य ग्राम सभा सहमति को एक प्रमुख रुकावट माना गया है।

- **विशेष बहुमत (Super-Majority) सहमति का प्रस्ताव:** समिति ने राष्ट्रीय महत्व की बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 100% सहमति के स्थान पर प्रभावित ग्राम सभाओं की 70-75% "योग्य विशेष बहुमत सहमति" लागू करने के सुझावों की जांच की।
- **कार्यान्वयन जनादेश:** जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दोहराया कि यद्यपि वह FRA के लिए नोडल मंत्रालय है, लेकिन वन अधिकारों के निपटान का व्यावहारिक प्रवर्तन और निष्पादन मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्राम सभा:** गांव के स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों से बनी संस्था, जो वन क्षेत्रों में प्राथमिक लोकतांत्रिक संस्थान के रूप में कार्य करती है।
- **स्टेज-II वन मंजूरी (Stage-II Forest Clearance):** गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि को डायवर्ट करने हेतु प्रारंभिक शर्तों को पूरा करने और अधिकारों के निपटान के बाद वन संरक्षण नियमों के तहत दी गई अंतिम प्रशासनिक मंजूरी।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA):** जनजातीय आबादी के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है और ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देता है।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** गैर-वानिकी विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के डायवर्जन को विनियमित करता है और पर्यावरण नियमों व अधिकारों के निपटान प्रोटोकॉल के अनुपालन का आदेश देता है।
- **भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची:** जनजातीय समुदायों द्वारा बसे हुए अनुसूचित क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक सुरक्षा और स्व-शासन के अधिकार की गारंटी देती है।

निष्कर्ष: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए ग्राम सभा की निगरानी प्रणाली पर स्पष्टता आवश्यक है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में टिकाऊ विकास के लिए वैधानिक वन अधिकारों की सुरक्षा को कमजोर किए बिना प्रक्रियात्मक समयसीमा को सुव्यवस्थित करना अनिवार्य है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** जनजातीय अधिकार, ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, और विधायी कार्यान्वयन।
- **जीएस पेपर III (पर्यावरण और बुनियादी ढांचा):** पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), वन मंजूरी प्रक्रियाएं, टिकाऊ विकास बनाम बुनियादी ढांचा विकास, और जलविद्युत परियोजनाएं।

9. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 'इक्वल अर्थ' (Equal Earth) मैप प्रोजेक्शन को दी मंजूरी

मुख्य बिंदु और सारांश

- **UN द्वारा मंजूरी:** संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक भूभागों, विशेष रूप से अफ्रीका को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए 4 सितंबर को "इकल अर्थ" (Equal Earth) मैप प्रोजेक्शन का समर्थन किया।
- **टोगो द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव:** टोगो द्वारा प्रायोजित यह प्रस्ताव 164 सदस्य देशों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका (US) इसके खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश था।
- **मानचित्र विकृति को दूर करना:** इस पहल का उद्देश्य सदियों पुराने 'मर्केटर प्रोजेक्शन' (Mercator projection) के दोषों को दूर करना है, जो ध्रुवों के पास के भूभागों को अत्यधिक बड़ा और उष्णकटिबंधीय भूभागों (जैसे अफ्रीका) को छोटा दिखाता है (जबकि वास्तव में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है)।
- **स्वैच्छिक परिवर्तन:** यह प्रस्ताव मर्केटर प्रोजेक्शन को प्रतिबंधित नहीं करता है, लेकिन सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को 'इकल अर्थ' मानचित्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:** पारंपरिक मर्केटर मानचित्र 16वीं शताब्दी से व्यापक रूप से उपयोग में है, जिसे मूल रूप से सापेक्ष भूमि क्षेत्रफल के बजाय समुद्री नौवहन (navigation) के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- **कार्टोग्राफिक समानता (Cartography Equity):** समान-क्षेत्रफल (equal-area) वाले मानचित्र को अपनाने से यूरोपीय-केंद्रित (Eurocentric) भू-राजनीतिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने और शिक्षा व नीति निर्माण में सटीक भौगोलिक अनुपात प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।



Brave New World Map

The new world map that the UN endorsed on September 4 represents Africa, which is 14 times larger than Greenland, more accurately. The UN move encourages governments and institutions around the world to replace the traditional Mercator map, used since the 16th century, with the Equal Earth projection. Friday's resolution does not ban the Mercator projection or impose a replacement, but only encourages the use of the Equal Earth projection, the UN said. AP

आवश्यक परिभाषाएं

- **इकल अर्थ प्रोजेक्शन (Equal Earth Projection):** 2018 में निर्मित एक समान-क्षेत्रफल छद्म-बेलनाकार (pseudocylindrical) मैप प्रोजेक्शन, जो भूभागों के सुंदर दृश्य रूप को बनाए रखते हुए उनके वास्तविक पृष्ठीय क्षेत्रफल के सटीक अनुपात में प्रदर्शित करता है।
- **मर्केटर प्रोजेक्शन (Mercator Projection):** 1569 में जेर्हार्डस मर्केटर द्वारा निर्मित एक बेलनाकार (cylindrical) मानचित्र, जो नौवहन के लिए दिशाओं और आकारों को तो सही रखता है, लेकिन ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूभागों का आकार अत्यधिक बढ़ा देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UN महासभा के प्रक्रिया नियम:** UN चार्टर के अनुच्छेद 13 के तहत शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से गैर-बाध्यकारी सिफारिशों हेतु मतदान प्रणाली को विनियमित करते हैं।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय कानून, संधि दायित्वों और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रति आदर बढ़ाने का निर्देश देता है (DPSP)।
- **भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) के नीतिगत दिशा-निर्देश:** राष्ट्रीय मानचित्र नीति के तहत भारत के भीतर आधिकारिक मानचित्र निर्माण और कार्टोग्राफिक मानकों को विनियमित करते हैं।

निष्कर्ष: 'इकल अर्थ' प्रोजेक्शन का UN द्वारा अनुमोदन कार्टोग्राफिक निष्पक्षता और भौगोलिक सटीकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। औपनिवेशिक काल के विकृत मानचित्रों को बदलने से वैश्विक शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर I (भूगोल):** कार्टोग्राफी (मानचित्रकला), मैप प्रोजेक्शन (मर्केटर बनाम इकल एरिया), स्थानिक विकृति, और वैश्विक भूभागों का भौगोलिक प्रतिनिधित्व।
- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** UN महासभा के प्रस्ताव, बहुपक्षीय कूटनीति, संस्थागत सुधार और वैश्विक सॉफ्ट-पावर गतिशीलता।

10. असम का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) राष्ट्रीय औसत से नीचे गिरा

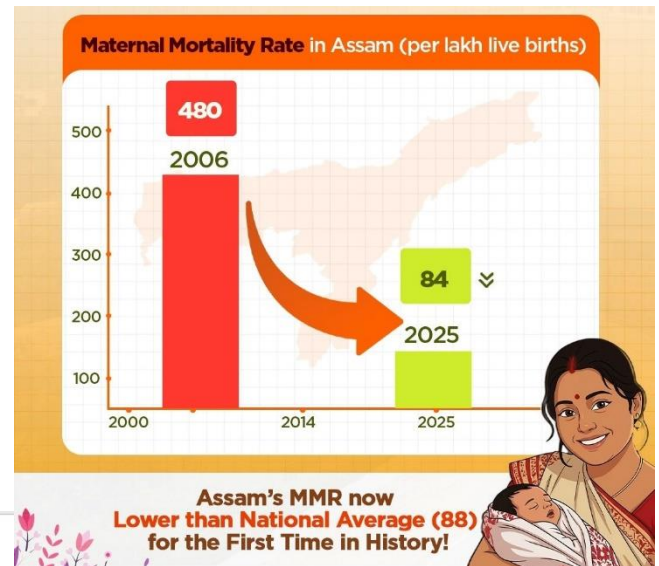
मुख्य बिंदु और सारांश

- **MMR में महत्वपूर्ण गिरावट:** श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (SSUHS) के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रेखांकित किया कि असम का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) पहली बार राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया है।
- **असम में स्वास्थ्य सेवा का विस्तार:** राज्य के चिकित्सा बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2021 के सात से बढ़कर 15 हो गई है, जबकि नौ अन्य निर्माणाधीन हैं।
- **उन्नत चिकित्सा अवसंरचना:** गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आगामी 'प्रोटॉन बीम थेरेपी यूनिट' जैसी उन्नत परियोजनाएं असम को विशेष कैंसर उपचार के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में स्थापित कर रही हैं।
- **राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रभाव:** आयुष्मान भारत (PM-JAY) के तहत देश भर में 44 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपये की जेब से होने वाले (out-of-pocket) खर्च की बचत हुई है।
- **वैक्सीन कूटनीति:** कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने अपनी 140 करोड़ घरेलू आबादी को मुफ्त टीके प्रदान करने के साथ-साथ विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों को टीकों का निर्यात किया।

- **चिकित्सा शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा:** SSUHS ने स्थानीयकृत सीखने में सहायता के लिए आंग्ल-असमिया (Anglo-Assamese) चिकित्सा शब्दकोश और असमिया चिकित्सा पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करके जन स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दिया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मातृ मृत्यु अनुपात (MMR):** किसी दी गई अवधि में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के 42 दिनों के भीतर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या।
- **आयुष्मान भारत (PM-JAY):** एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 47:** राज्य नीति का एक निर्देशक तत्व (DPSP) जो राज्य को लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल करने का आदेश देता है।
- **अनुच्छेद 21:** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के मौलिक अधिकार को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित किया है।
- **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची - प्रविष्टि 6):** लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पतालों व औषधालयों को प्राथमिक राज्य विषय के रूप में निर्दिष्ट करती है।

निष्कर्ष: मातृ मृत्यु दर में असम की राष्ट्रीय औसत से नीचे की गिरावट लक्षित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निवेश और सामाजिक क्षेत्र के हस्तक्षेप के प्रभाव को दर्शाती है। इन लाभों को बनाए रखने के लिए तृतीयक देखभाल, स्थानीय चिकित्सा शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर एकीकरण आवश्यक है।

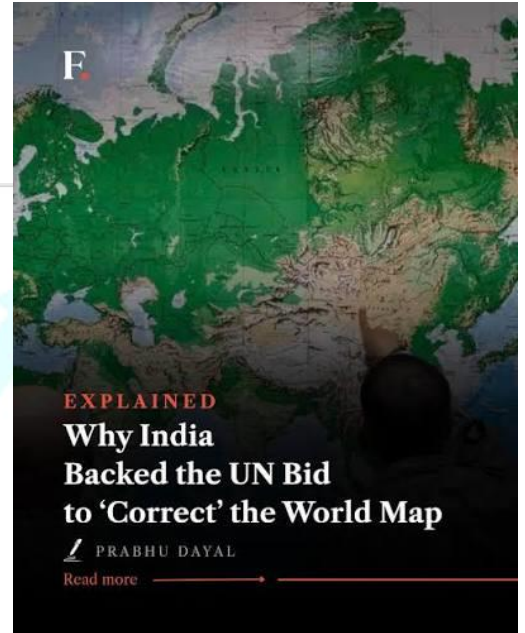
UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (शासन और सामाजिक न्याय):** स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य संकेतकों और आयुष्मान भारत (PM-JAY) के कार्यान्वयन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III (प्रौद्योगिकी और विकास):** उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियां (प्रोटॉन बीम थेरेपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संस्थागत क्षमता निर्माण।

11. MEA ने UN विश्व मानचित्र में भारत के मानचित्र के सटीक चित्रण की मांग की

मुख्य बिंदु और सारांश

- **संप्रभु सीमाओं पर अडिग रुख:** विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- **समान-क्षेत्रफल कार्टोग्राफी का समर्थन:** भारत ने UN महासभा के प्रस्ताव "करेक्ट द मैप: रीबैलेंसिंग ग्लोबल कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रमोटिंग इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन्स, पार्टिकुलरली अफ्रीका" के पक्ष में मतदान किया।
- **राजनीतिक सीमाओं का कोई समर्थन नहीं:** नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि समान-क्षेत्रफल वाले प्रोजेक्शन का समर्थन करने का अर्थ किसी विशिष्ट राजनीतिक मानचित्र, विवादित सीमाओं या स्थानों के नाम का समर्थन करना नहीं है।
- **मतदान का विवरण:** टोगो द्वारा प्रायोजित यह प्रस्ताव 164 वोटों के साथ पारित हुआ, जिसमें 6 देश अनुपस्थित रहे (एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया, यूक्रेन) और 1 देश (US) ने विरोध में वोट दिया।
- **गैर-समझौतावादी संप्रभुता:** विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी संप्रभु क्षेत्रीय अखंडता के संबंध में भारत का रुख स्पष्ट, सुसंगत और गैर-समझौतावादी है।
- **तकनीकी कार्टोग्राफिक दायरा:** प्रस्ताव का उद्देश्य विशुद्ध रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को कानूनी रूप से प्रमाणित किए बिना महाद्वीपीय भूभागों के सापेक्ष आकारों को संरक्षित करना है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **राजनीतिक कार्टोग्राफी (Political Cartography):** मानचित्र निर्माण का वह अभ्यास जो विशेष रूप से संप्रभु सीमाओं, प्रशासनिक विभाजनों, क्षेत्रीय दावों और राजनीतिक अधिकार क्षेत्र को दर्शाने पर केंद्रित है।
- **समान-क्षेत्रफल प्रोजेक्शन (Equal-Area Projection):** भौगोलिक आकार की विकृति को रोकते हुए दुनिया भर में भूभागों के सटीक आनुपातिक क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मानचित्र प्रोजेक्शन।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1:** भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें इसके राज्य और निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख पर संवैधानिक जनादेश स्थापित करते हैं।
- **क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 1961:** भारत की आधिकारिक क्षेत्रीय सीमाओं के प्रकाशन या उस पर सवाल उठाने को सुरक्षा के प्रतिकूल मानने पर आपराधिक घोषित करता है।
- **UN चार्टर अनुच्छेद 2(7):** संयुक्त राष्ट्र को किसी भी संप्रभु राज्य के विशुद्ध रूप से घरेलू अधिकार क्षेत्र के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है।

निष्कर्ष: UN के कार्टोग्राफिक प्रस्ताव का भारत का सशर्त समर्थन राष्ट्रीय अखंडता की सुरक्षा के साथ वैश्विक कार्टोग्राफिक निष्पक्षता को संतुलित करता है। राजनीतिक सीमाओं को समान-क्षेत्रफल प्रोजेक्शन से अलग करके, नई दिल्ली वैश्विक बहुपक्षीय पहलों में योगदान करते हुए अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता पर अपने रुख को मजबूत करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजव्यवस्था):** संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संविधान का अनुच्छेद 1, UN प्रस्ताव और कूटनीतिक जुड़ाव।
- **जीएस पेपर I (भूगोल):** कार्टोग्राफी के सिद्धांत, मैप प्रोजेक्शन, स्थानिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय भौगोलिक विकृतियां।

12. जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत को 'A' श्रेणी में अपग्रेड किया

मुख्य बिंदु और सारांश

- **संप्रभु रेटिंग अपग्रेड:** 2 सितंबर को जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (JCR) ने भारत की दीर्घकालिक संप्रभु रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया, जिससे भारत 36 वर्षों के बाद पुनः "A" ग्रेड श्रेणी में वापस आ गया है।
- **ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:** भारत को आखिरी बार जनवरी 1988 में मूडीज (Moody's) के तहत 'A' ग्रेड प्राप्त हुआ था, जिसके बाद 1991 के भुगतान संतुलन (BoP) संकट के कारण रेटिंग को 'जंक ग्रेड' (Non-investment junk grade) में घटा दिया गया था।
- **समष्टि आर्थिक (Macroeconomic) वृद्धि गतिशीलता:** यह अपग्रेड वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) में 7.8% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, मजबूत निजी उपभोग और 11.9% की सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) वृद्धि से समर्थित है।
- **वित्तीय क्षेत्र की मजबूती:** JCR ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) और RBI पर्यवेक्षण जैसे संरचनात्मक सुधारों का हवाला दिया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात घटकर 1.8% हो गया है।
- **सांख्यिकी कार्यप्रणाली अपग्रेड:** यह रेटिंग भारत के राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (SNA) 2008 के अद्यतन ढांचे, आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI), डबल डिफ्लेशन (Double Deflation) और 300 से अधिक व्यक्तिगत मूल्य डिफ्लेटर्स के उपयोग के साथ मेल खाती है।
- **कॉर्पोरेट पूंजी प्रवाह पर प्रभाव:** 'A' श्रेणी की रेटिंग में जाने से भारतीय कंपनियों के लिए जोखिम प्रीमियम कम होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिलता है और सीमा पार से ऋण लेने की लागत घटती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **संप्रभु क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Rating):** किसी राष्ट्रीय सरकार की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन, जो उसके ऋण दायित्वों पर चूक (default) की संभावना का मूल्यांकन करता है।
- **उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI):** घरेलू उत्पादकों द्वारा उनके आउटपुट के लिए प्राप्त कीमतों में औसत परिवर्तनों को मापने वाला एक सूचकांक, जिसका उपयोग GDP अनुमान में किया जाता है।

- **डबल डिफ्लेशन (Double Deflation):** एक सांख्यिकी विधि जहाँ सकल आउटपुट और मध्यवर्ती इनपुट को अलग-अलग मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके डिफ्लेट करके वास्तविक मूल्यवर्धन (Real Value Added) की गणना की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के लिए वैधानिक राजकोषीय लक्ष्यों और अनुशासित ऋण-से-जीडीपी अनुपात की रूपरेखा तय करता है।
- **दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016:** तनावग्रस्त कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जिससे बैंकिंग परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार होता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 292:** भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर केंद्र सरकार की कार्यकारी उधार शक्तियों को विनियमित करता है।

निष्कर्ष: एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा संप्रभु रेटिंग का 'A-' श्रेणी में अपग्रेड भारत के संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और संस्थागत स्थिरता को प्रमाणित करता है। इस गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय में निरंतरता, राजकोषीय घाटे को कम करने और वैश्विक भू-राजनीतिक व्यापार तनावों से कुशलतापूर्वक निपटने की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** संप्रभु क्रेडिट रेटिंग, जीडीपी गणना पद्धतियां, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार (IBC, NPA प्रबंधन), राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और विदेशी पूंजी प्रवाह।
- **जीएस पेपर II (शासन):** संस्थागत ढांचे, केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध (GST परिषद) और वैश्विक आर्थिक नीति में भारत की स्थिति।



SEPTEMBER 7, 2026

